

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्ट्रेशन नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/93/2020	2020/00220	10/11/2020	28.06.2022

1. TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, THROUGH ITS AUTHORIZED OFFICER MR. DHEERAJ BHORIA PVT. LTD. COM. REG. OFFICE AT 11TH FLOOR TOWER A, PENINSULA BUSINESS PARK, GANPATRAO KADAM MARG, LOWER PAREL, MUMBAI-400013

Also At:

BRANCH OFFICE INTER-ALIA AT B-36 FF & SF (ABOVE HDFC BANK), LAJPAT NAGAR-2, NEW DELHI-110024

—प्रार्थी

बनाम

- 1- Ms. SUMITRA , HOUSE NO. E-802, SHEESHPAL VIHAR SECTOR-49, GURGAON, HARYANA-122001
- 2- Ms SUMITRA, W/o MR. JAGBIR RAM H.NO.132, VILLAGE-BICHPARI, TEHSIL-GOHANA, SONEPATH, HARYANA-131301
- 3- M/s SUMITRA, M/S DIRECTOR SECONDARY EDUCATION SHIKSHA SADA TOP FLOOR PLOT NO. 1B, SECTOR-5, PANCHKULA, HARYANA-152024
- 4- Mr. AJAY PANNU, HOUSE NO. E-802 SHEESHPAL VIHAR SECTOR-49, GURGAON, HARYANA-122001
- 5- Mrs. SUNITA PANNU, HOUSE NO. E-802 SHEESHPAL VIHAR SECTOR-49, GURGAON, HARYANA-122001
- 6- Ms. SUMITRA, UNIT NO. D-708 SEVENTH FLOOR, CAPITAL GREENS, BHIWADI, RAJASTHAN-301019
- 7- Mr. AJAY PANNU, UNIT NO. D-708 SEVENTH FLOOR, CAPITAL GREENS, BHIWADI, RAJASTHAN-301019
- 8.

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को (Lone Account No. 9431552) 15,00,000/-रूपये (Rupees Fifteen Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 11.12.2018 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 13,59,914/- (Rupees Thirteen Lakh Fifty Nine Thousand Nine Hundred Forteen Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्ज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "ALL THAT FLAT NO. D-708, IN TOWER-D ON SEVENTH FLOOR OF THE BUILDING NAMED AS "CAPITAL GREENS" SITUATED AT VILLAGE MILAKPUR GURJAR, SECTOR-9, UIT, BHIWADI, DISTT. ALWAR RAJASTHAN. ADEASURING AREA 1037 SQ. FT. " को

रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "ALL THAT FLAT NO. D-708, IN TOWER-D ON SEVENTH FLOOR OF THE BUILDING NAMED AS "CAPITAL GREENS" SITUATED AT VILLAGE MILAKPUR GURJAR, SECTOR-9, UIT, BHIWADI, DISTT. ALWAR RAJASTHAN. ADEASURING AREA 1037 SQ. FT. " को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण नियमानुसार प्रार्थी बैंक को नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 07.10.2018 को एन.पी.ए घोषित कर प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी (सह ऋणी) एवं जमानती को दिनांक 11.12.2018 को एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अवगत कराया है, *लेकिन नोटिस की रजि० डाक की तामिल एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिससे यह जाहिर नहीं होता है कि अप्रार्थी/ऋणी एव जमानती को उक्त नोटिस की तामिल हुई हों। प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।*

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवप्रसद चक्रवर्ती)
जिस्सा मीजिस्ट्रेट, अलवर